

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| क्रमांक/प्रार्थना पत्र सं. 108/2012 | धारा अंतर्गत 88,89,91,92A,188 RTA | ग्राम कोटडापार | तहसील छबड़ा |
| वादी मुकेश | वाद शीर्षक बनाम | प्रतिवादी मिश्रीलाल वगै० | |

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|--------|--------------------|--------------|
|--------|--------------------|--------------|

12-6-12

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92A,188 RTA, विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.07.2012 को पेश हो

Handwritten signature

2-7-12

पत्रावली पेश हुई वकील वादी द्वारा जर्नल की कोर्ट में श्री कोमल राम शर्मा एड. द्वारा फाइल रेकॉर्ड दिया गया। पत्रावली वाकि वकाउरगण/ जवाब दिनांक 13-8-12 को पेश हो

13-8-12

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अपकार पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...7...10...12...को पेश हो।

Signature
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा/बारां

4-12-12

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अपकार पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...22...1...13...को पेश हो।

Signature
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा/बारां

6-3-13

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अपकार पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...16...4...13...को पेश हो।

Signature
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा/बारां

19/4/22

अपना पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27/6/22 को पेश हो।

डी.डी. सिडर
न्यायालय संप्रखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

7/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकिलानी अनुपस्थित। आयुक्तों की तलबी हेतु तलबीना आज ही पेश करें। वास्ते तलबी। तलबीना अंतिम अवसर दिया जाता है। यदि प्रकरण वर्ष 2012 से लांबित है। न्यायद्वित में अंतिम अवसर दिया जाता है आगे की प्रती पर तलबीना पेश नहीं हो। पर प्रकरण के अधिकारी इसी स्तर पर ड्रॉप कर दी जावेगी। वास्ते तलबी/तलबीना पत्रावली दिनांक 27/6/22 को पेश हो।

27/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील भागी अनुपस्थित। वकील भागी को तीन बार आवान लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम हाजरी अदम पेश की खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार होकर दखिल दफतर हो।